



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2004/माघ 24, 1925

No. 162]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2004/MAGHA 24, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 193(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1201(अ) दिनांक 1 दिसम्बर, 1999 द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क के लिए एक स्कीम तैयार किया गए हैं और उसे अधिसूचित किया है;

और जबकि मैसर्स एल एंड टी. इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, जिसका पंजीकृत कार्यालय आई.क्यू. 4-ए 1, प्रथम तल, साइबर टावर्स, हाईटेक सिटी, मधापुर, हैदराबाद-500033 में स्थित है, ने एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है, उसका अनुरक्षण एवं प्रचालन करता है;

और जबकि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक पार्क को दिनांक 22 मई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 447 (अ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया था;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने मैसर्स एल.एंड टी. इन्फोसिटी लि0, हैदराबाद द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था ;

और जबकि, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (ii) में दिनांक 22 मई, 2001 को प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार ने उस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है ;

और, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार मैसर्स एल.एण्ड टी. इन्फोसिटी लि०, हैदराबाद द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुसूची

शर्तें जिनके आधार पर मैसर्स एल.एण्ड टी. इन्फोसिटी लि., हैदराबाद द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- 1.(i) प्रोमोटर अथवा औद्योगिक उपक्रम का नाम : एल.एण्ड टी. इन्फोसिटी लि.
- (ii) प्रस्तावित स्थान का पता : पता: गांव मधापुर, सेरीलिंगम पल्ली,
नगर पालिका
जिला: रंगा रेड्डी
राज्य: आन्ध्र प्रदेश
पिन कोड: 500 033
- (iii) औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित क्षेत्र: 14.65 एकड़
- (iv) प्रस्तावित क्रिया-कलाप

एन.आई.सी.कोड सहित औद्योगिक क्रिया-कलाप का स्वरूप					
क्रमांक	एन.आई.सी.कोड		विवरण		
	धारा	प्रभाग	समूह	वर्ग	
क	8	89	892	-	डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर का विकास एवं कम्प्यूटर परामर्शी सेवाएं।
ख	8	89	893	-	कारोबार एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएं।
ग	8	89	894	-	आर्कीटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्शी क्रिया-कलाप।

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए उद्दिष्ट आबंटनीय क्षेत्र की प्रतिशतता 91%
- (vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए उद्दिष्ट आबंटनीय क्षेत्र की प्रतिशतता 09%
- (vii) औद्योगिक इकाईयों की प्रस्तावित संख्या 50 इकाईयां
- (viii) कुल प्रस्तावित निवेश 281.0 करोड़ रु.
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश 220.0 करोड़ रु.
- (x) औद्योगिक उपयोग हेतु निर्मित स्थान पर निवेश सहित मूलभूत संरचना पर निवेश 258.0 करोड़ रु.
- (xi) औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की वास्तविक तारीख 01.04.1998(चरण-I)
31.03.2002(चरण-II)

2. औद्योगिक उपयोग के लिए आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र की न्यूनतम प्रतिशतता आबंटन योग्य कुल क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होगी। आबंटन योग्य क्षेत्र का आशय औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा आवासीय प्रयोजन के लिए आबंटन हेतु उपलब्ध विशुद्ध क्षेत्र से होगा और इसमें विद्युत, दूरसंचार, सड़क, हरित क्षेत्र जैसी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाने वाला क्षेत्र शामिल नहीं होगा। औद्योगिक पार्क जो कि निर्मित स्थान उपलब्ध कराता है, के संबंध में आबंटन योग्य क्षेत्र का आशय आबंटन के लिए उपलब्ध विशुद्ध दरी क्षेत्र से होगा और इसमें वातानुकूलन तथा अन्य दूरसंचार संस्थापनों इत्यादि जैसी सामान्य सुविधा स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया गया निर्मित स्थान शामिल नहीं होगा।

3. औद्योगिक उपयोग में, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1987 कूट में परिभाषित कोई भी क्रियाकलाप शामिल होगा, निम्नलिखित कूटों को छोड़कर :

धारा 0	धारा 8 ग्रुप 892,893,894,895 को छोड़कर
धारा 1	धारा 9
धारा 5	धारा X
धारा 7	धारा XI
प्रभाग 75 को छोड़कर	

4. वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्दिष्ट की जानेवाली भूमि की प्रतिशतता आबंटन योग्य क्षेत्र के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

5. औद्योगिक मॉडल टाउन तथा औद्योगिक पार्क के संबंध में, आधारभूत विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। औद्योगिक पार्क, जो कि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान की व्यवस्था करता है, के संबंध में औद्योगिक स्थान के निर्माण व्यय सहित आधारभूत विकास पर न्यूनतम व्यय कुल लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

6. आधारभूत विकास में सड़क (प्रवेश मार्ग सहित), जल आपूर्ति एवं जल-मल निकासी, सामान्य निस्सरण उपचार सुविधा, औद्योगिक मॉडल टाउन अथवा औद्योगिक पार्क में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन एवं वितरण, दूर-संचार नेटवर्क इत्यादि जैसी सामान्य सुविधाओं पर व्यय तथा औद्योगिक क्रियाकलाप के सामान्य उपयोग हेतु ऐसी अन्य सुविधाएं जो अभिज्ञेय हैं तथा वाणिज्यिक शर्तों पर मुहैया कराई जाती हैं, शामिल हैं।

7. किसी भी परियोजना में कोई भी इकाई किसी औद्योगिक मॉडल टाउन अथवा औद्योगिक पार्क के आबंटन योग्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग अधिकृत नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ, किसी इकाई का आशय पृथक् कराधेय सत्ता से है।

8. विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन प्रभावी नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

9. एल.एंड टी. इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का संचालन जारी रख सकता है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80(1क) के तहत लाभ लिया जाना है ।
10. यदि एल.एंड टी. इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद उपर्युक्त किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है तो केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है ।
11. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना आयोजना में कोई संशोधन किए जाने से अथवा भविष्य में, आवेदक की ओर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने में असफलता का पता चलने पर यह अधिसूचना अवैध हो जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 49/2004/फा. सं. 178/96/99-आयकर नि.-I (भाग)]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव